न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
329 / 2024	18.06.2024	03.07.2024

उनवान

1. प्रताप सिंह पुत्र शंकर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बड़ा खेड़ा (गोविन्द सिंह जी का खेड़ा) तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोवर्धन सिंह पुत्र मोहन सिंह राणावत आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. प्यारा पुत्र बालू दरोगा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. विनोद पुत्र भोपाल दरोगा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र डूंगर सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. गोदू गाडरी पुत्र देवा गाडरी आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. चैन सिंह पुत्र मोहन सिंह आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. तेज दरोगा पुत्र भवाना दरोगा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. धर्मराज पुत्र गिरधारी दरोगा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. रतन सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. सुखा बैरवा पुत्र देवा बैरवा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. लादू शर्मा आयु वयस्क निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोविन्द सिंह जी का खेड़ा प0ह0 दान्थल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 86 की अभिलिखित आराजियात 1093, 1128, 1151 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1117 हैक्टेयर, खाता संख्या 56 की आराजी संख्या 1201, 1204, 1208, 1211, 1212, 1213 कुल किता 06 कुल रकबा 2.4785 है0, खाता संख्या 88 की आराजी संख्या 1136, 1206, 1224, 1252, 933, 982, 983 कुल किता 07 कुल रकबा 12.0760 है0 व खाता संख्या 87 की आराजी संख्या 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1202, 1203, 1205, 1209, 1210, 1249, 1250, 1251, 1253 कुल किता 25 कुल रकबा 8.3460 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जेर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा गोविन्द सिंह जी का खेड़ा प0ह0 दान्थल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 86 की अभिलिखित आराजियात 1093, 1128, 1151 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1117 हैक्टेयर, खाता संख्या 56 की आराजी संख्या 1201, 1204, 1208, 1211, 1212, 1213 कुल किता 06 कुल रकबा 2.4785 है0, खाता संख्या 88 की आराजी संख्या 1136, 1206, 1224, 1252, 933, 982, 983 कुल किता 07 कुल रकबा 12.0760 है0 व खाता संख्या 87 की आराजी संख्या 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1202, 1203, 1205, 1209, 1210, 1249, 1250, 1251, 1253 कुल किता 25 कुल रकबा 8.3460 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर
भीलवाडा